पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–48/14

दायर दिनांकः–25.06.2014

निर्णय दिनांक :–23.12.2019

उनवान

मुरारीलाल पुत्र विद्याप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी केलवाडा तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0।

–वादी

बनाम

1– कोमलप्रसाद पुत्र विद्याप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी 706 सी. श्रीनाथपुरम कोटा (राज0)।

2– प्रवेश पुत्र कोमलप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी 706 सी. श्रीनाथपुरम कोटा (राज0)।

3– जितेन्द्र कुमार पुत्र विद्याप्रसाद उम्र 38 साल जाति ब्राम्हण निवासी मुंडियर तह0 शाहाबाद जिला बारां (राज0)

4–जानकीबाई पुत्री विद्याप्रसाद पत्नि सुरेश कुमार जाति ब्राम्हण निवासी शाहाबादतहसील शाहाबाद जिला बारां राज0।

5– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबादतहसील शाहाबादबारां(राज0)।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0 एक्ट

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

ग्राम सिरसौदकला तहसील शाहाबादमें आराजी खसरा नम्बर 405/542 रकबा 8 बीघा स्थित है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता विद्याप्रसाद पुत्र लक्ष्मनलाल जाति ब्राम्हण निवासी सिरसौद के खाते दर्ज है वादी के पिता विद्याप्रसाद जी का दिनांक 23/8/13 को देहान्त हो चुका है वादी एवं प्रतिवादी कम 1, 3 एवं 4 उनके पुत्र पुत्री होकर वैधानिक वारिस है और विवादित आराजियात के 1/4, 1/4 भाग पर जर्ये विरासतन फोती नामान्रकरण राजस्व रिकार्ड में विद्याप्रसाद जी के स्थान पर अपने अपने नाम का अंकन कराने के वैधानिक हकदार है। वादी ने अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार को उनके फोती नामान्तरकरण खोले जाने के बाबत लिखित में निवेदन किया तो प्रतिवादी कम 3 ने तह0 शाहाबादको यह आवेदन किया कि विद्याप्रसाद ने विवादित आराजी में से 1 बीघा भूमि 25/8/98 को उसे विकय करदी थी इस कारण 1 बीघा का नामान्तरकरण उसके पक्ष में खोला जावे। शेष 7 बीघा वादी एवं प्रतिवादी क 1, 3 व 4 के नाम दर्ज कर दी जावे इसी तरह प्रतिवादी कम 1 ने अपने पुत्र प्रतिवादी कम 2 से तहसीलदार को इस आशय का आवेदन पेश कराया कि विद्याप्रसाद जी ने विवादित आराजी का पूरा रकबा 8 बीघा दिनांक 29/5/13 को प्रतिवादी कम

Scanned by CamScanner

2 को विक्रय करदी है इस कारण विवादित आराजी के पूरे 8 बीघा का नामान्तरकरण प्रतिवादी कम 2 के नाम दर्ज किया जावे। इस विवाद को लेकर प्रतिवादी कम 3 ने प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्व छल कपट से बिना प्रतिफल के अपने पक्ष में विक्रय पत्र तहरीर कराने बाबत एक फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना केलवाडा में दर्ज कराया। जिसमें प्रतिवादी कम 2 व 3 ने समझौता किया कि दोनों के विक्रय बिना प्रतिफल के कराये है जिन्हें अवैध एवं प्रभाव शून्य समझा जावे। इसी विवाद के चलते प्रतिवादी कम 5 ने आज तक विधाप्रसाद जी का फोती नामान्तरकरण नही खोला। वादी के पिता पिछले 2 साल से अस्वस्थ होकर सोचने समझने की स्थिति में नही थे। उन्होंने कभी भी विवादित आराजी के किसी भी भाग को प्रतिवादी कम 2 या 3 को कभी भी विक्रय नही किया है ना ही कब्जा सुपुर्द किया है। यदि प्रतिवादीगण के पास कोई विक्रय पत्र है भी तो वह फर्जी होकर शून्य है जिससे प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 3 विवादित आराजी को बैहैसियत मालिक काबिज होकर संयुक्त रूप से कास्त करते चले आ रहे हैं प्रतिवादी कम 4 अपनी ससुराल में रह रही है इस तरह विवादित आराजी के 1/4 भाग पर वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करा पा सकने का हकदार है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार लिखित में निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी कम 5 ने 20/6/14 को विधाप्रसाद का फौती नामान्तरकरण वादी एवं प्रतिवादी कम 1,3,4के पक्ष में तस्दीक करने से मना कर दिया। प्रतिवादी कम 5 सर्वोच्च भूस्वामी होने के कारण वादपत्र में पक्षकार बनाया है।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जो हाजिर आये। जिन्होंने कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया। अन्ततः प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 24/11/15 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई और पत्रावली में साक्ष्य वादी के रूप में पी.डब्लू 1 कोमलप्रसाद के ब्यान दर्ज कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सिरसौदकलां की आराजी खसरा नम्बर 405/542 रकबा 8 बीघा की सम्बत 2068 से सम्बत 2071 की नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 एवं वादी एवं प्रतिवादी कम 1,3,4 के पिता विधा प्रसाद के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श 2ए के रूप में प्रदर्शित कराई गई है।

हमने अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादी की मां मथुराबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की । खातेदार विधाप्रसाद की मृत्यु दिनांक 23/8/13 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2ए से सिद्व होता है तथा विधाप्रसाद की पत्नि मथुराबाई की मृत्यु दिनांक 28/7/13 अर्थात विधाप्रसाद से पूर्व होना उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज किया गया है।राजस्थान काष्तकारी अधि0 1955 की धारा 40 के अनुसार बिना वसीयत किये किसी खातेदार की मृत्यू उपरान्त उसकी विरासत उसकी मृत्यु के समय उत्तराधिकार हेतू प्रचलित विधि से होती है इस प्रकरण में मृतक खातेदार हिन्दू है जिनका देहान्त वर्ष 2013 में होना प्रमाणित होता है। हिन्दुओं के लिये उत्तराधिकार की प्रचलित विधि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है जिसके अनुसार खातेदार विधाप्रसाद की मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रेणी के वैधानिक वारिस पुत्र वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा पुत्री प्रतिवादी कम 4 होना प्रमाणित होते है इसके विपरीत किसी भी पक्ष द्वारा विधाप्रसाद की कोई वसीयत या बैनामा या अन्य वारिस होने बाबत कथन नही किया है इस कारण विवादित आराजी ग्राम सिरसौदकला के खसरा नम्बर 405/542 रकबा 8 बीघा में वादी ,प्रतिवादी कम 1,3,4 समान रूप से हिस्सा प्राप्त करने के हकदार प्रमाणित होते है।

उपं खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम सिरसौदकला के खसरा नम्बर 405/542 रकबा 8 बीघा में वादी ,प्रतिवादी कम 1,3,4 को समान रूप से हिस्से का खातेदर घोशित किया जाता है तदानुसार पर्चा डिक्री बनाया जाकर शामिल मिसल हो निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो और बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिल शाहाबाँद (राज०)

Scanned by CamScanner